



प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 12 नवम्बर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि ₹0 27,67,93,014/- की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 1691/यूपीडा/08/147, दिनांक 25.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की धनराशि निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक "2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय-18-यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" में ₹0 57.75 करोड़ का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि में से शासनादेश सं०-23/2021/870-77-3-2021 दिनांक 28.04.2021 तथा शासनादेश सं०-41/2021/1655-77-3-2021-07 दिनांक 17.08.2021 के द्वारा 22,27,14,178/- (119516370+103197808) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। सम्प्रति ₹0 35,47,85,822/- अवशेष है। उक्त अवशेष धनराशि में से पंजाब नेशनल बैंक से लिये गये ऋण पर देय ब्याज दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक ₹0 27,67,93,014/- (₹0 सत्ताइस करोड़ सड़सठ लाख तिरानवे हजार चौदह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी बात बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- (3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन की उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं०-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3/2021/बी-1-1375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा इस संबंध में जारी शासनादेश सं0-2/2021/बी-3-138/दस- 2021-100(4)/2002 दि0 10.03.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय-18-यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय झाप सं0-3/2021-बी-1-375/दस- 2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियाँ अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-49/2021/2241(1)/77-3-2021, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।